प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

श्रीमती तृप्त कौर,
पत्नी स्व0 श्री अमरजीत सिंह,
निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

संख्याः 334 /उ0ख0/मा0प्लान/उ0सि0न00/2018–19 दिनांक 31 ~~मार्च~~ मई, 2019

विषयः– पट्टाधारक श्रीमती तृप्त कौर, पत्नी स्व0 श्री अमरजीत सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर ग्राम रतनपुरी के क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 6 के खसरा संख्या 42/3 कुल रकवा 0.470 है0 नाप भूमि में 06 (छः) माह की अवधि हेतु कार्यालय ज्ञाप पत्र संख्या 1497/VII-I/2019/02–ख/18 दिनांक 01 फरवरी 2019 के द्वारा आशय पत्र (Letter of Intend) पर स्वीकृत क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर ग्राम रतनपुरी के क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 6 के खसरा संख्या 42/3 का रकवा कम कर नदी के पश्चिम दिशा में कुल रकवा 0.470 है0 नाप भूमि जिसमें कार्यालय ज्ञाप पत्र संख्या 1497/VII-I/2019/02–ख/18 दिनांक 01 फरवरी 2019 आशय पत्र (Letter of Intend) के द्वारा श्रीमती तृप्त कौर, पत्नी स्व0 श्री अमरजीत सिंह, निवासी ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर का 06 (छः) माह की अवधि हेतु पर्यावरणीय अनुमति के लिए खनन/चुगान अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की मशां व्यक्त की गयी है, से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो आर0क्यू0पी श्री हरीश कैन्थोला आर0क्यू0पी0 (मु0ख0/05/खनन/आर0क्यू0पी0/2015–16) के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खन्न संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के नियम–34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 बिन्दु–22 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खन्न योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:–

शर्तें

1. खनन योजना का अनुमोदन खनन अनुज्ञा निर्गत होने की तिथि से आगामी 06(छः) माह के लिए किया जा रहा है।
2. आवेदक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के द्वारा निर्गत पर्यावरण अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।
3. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञाप पत्र संख्या 1497/VII-I/2019/02–ख/18 दिनांक 01 फरवरी 2019 एवं खनन अनुज्ञा पत्र की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।
4. प्रस्तावित खन्न क्षेत्र में खन्न कार्य खनन योजना के अनुसार मैनुवल माइनिंग से, बिना ब्लाष्टिंग के किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार आर0एल0 235.5 मी0 से आर0एल0 236 मी0 तक 14734.50 टन (6697.50 cum) उपखनिज का खन्न किया जायेगा।
5. मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के अनुपालन में स्वीकृत खनन क्षेत्र में पुल के 01 किलोमीटर अपस्ट्रीम एवं 01 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को छोडकर खनन कार्य किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा अनुमोदित खनन योजना का भू–सन्दिर्भित खनन पट्टा पलान्स अद्यारोपण उपरान्त भू–सन्दर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं मुख्यालय देहरादून में एक माह के अन्तर्गत प्रस्तुत की जायेगी।

7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।
9. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
10. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
11. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
12. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
13. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
14. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, आवेदक के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि आवेदक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेंगे।

संलग्नकः– खन्न योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्याः /उ0ख0/मा0प्लान/उ0सिं0न0/2018–19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड।
4. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) उधमसिंहनगर।
5. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद उधमसिंहनगर।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक